मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रं. 541 / 26–2 / 2013 / भोपाल, दिनांक 16.04.2013 25.4.13

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश**
2. **समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश**
3. **समस्त आयुक्त**
   नगर निगम, मध्य प्रदेश
4. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
   जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
5. **समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक**
   सामाजिक न्याय, मध्य प्रदेश
6. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
   जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश
7. **समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी**
   नगर पालिका / नगर परिषद, मध्य प्रदेश

विषयः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS) प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS), प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय के संबंध में।

संदर्भः– लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308–05–01–2010 दिनांक 24.09.2011 में शामिल सेवा क्रमांक 7.2, 7.3 एवं 7.4

–0–

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है । योजनाओं का कियान्वयन एवं संचालन म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालयीन ज्ञापन के समसंख्यक क्रमांक / जे– 11015 / 1 / 2012 / एनएसएपी दिनांक 8 नवम्बर 2012 के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत मौजूदा पेंशन योजनाओं में आयु सीमा एवं पेंशन राशि के मापदण्डों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOPS)

1.1 पात्रता के मापदण्ड–

- आवेदक (पुरूष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

1.2 पेंशन की राशि

- 60 वर्ष से 64 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु. 200 (केन्द्रांश) की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रदाय की जाये।
- 65 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु. 275 की दर से पेंशन प्रदाय की जाये, जिसमें रु. 200 केन्द्रांश तथा रु. 75 राज्यांश सम्मिलित होगा।
- 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु. 500 (केन्द्रांश) की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रदाय की जाये।

1.3 आवश्यक दस्तावेज–

आयु के लिए निम्नलिखित में से कोई एक

- स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची
- जन्म प्रमाणपत्र
- मतदाता सूची
- स्वयं का मतदाता परिचयपत्र
- चिकित्सक प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र

1.4 आवेदक के पासपोर्ट साईज के 3 फोटोग्राफ

1.5 आवेदन पत्र

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रारुप परिशिष्ट–1

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)

2.1 पात्रता के मापदण्ड–

- आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।

2.2 पेंशन की राशि

- विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह रु. 300 की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जावे।

2.3 आवश्यक दस्तावेज–

आयु के लिए निम्नलिखित में से कोई एक

- स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची
- जन्म प्रमाणपत्र
- मतदाता सूची
- स्वयं का मतदाता परिचयपत्र
- चिकित्सक प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र

2.4 आवेदिका के पासपोर्ट साईज के 3 फोटोग्राफ

2.5 विधवा के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

- **पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र**

2.6 आवेदन पत्र

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रारुप परिशिष्ट–1

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS)

3.1 पात्रता के मापदण्ड–

- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष होगी।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के अनुसार 80 प्रतिशत निःशक्तता एवं सीबीयर डिसेबिलिटी होना चाहिए

3.2 पेंशन की राशि

- निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह रु. 300 की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जावे।

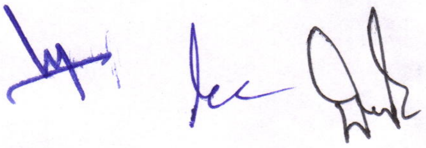

3.3 आवश्यक दस्तावेज–

आयु के लिए निम्नलिखित में से कोई एक

- स्कूल का प्रमाणपत्र / अंकसूची
- जन्म प्रमाणपत्र
- मतदाता सूची
- स्वंय का मतदाता परिचयपत्र
- चिकित्सक प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र

3.4 आवेदक के पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ

3.5 निःशक्तता पेंशन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

- चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता का प्रमाणपत्र

3.6 आवेदन पत्र

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रारुप परिशिष्ट–1

4. स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्र	अधिकारी	समयावधि
(1)	(2)	(3)
ग्रामीण क्षेत्र के लिए	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र के लिए	आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद	60 कार्य दिवस

5. अपीलीय अधिकारी

क्षेत्र	प्रथम अपीलीय अधिकारी	समयावधि	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र के लिए आयुक्त, नगर निगम	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस

6. पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया

6.1 ग्रामीण क्षेत्र –

6.1.1 आवेदक द्वारा इस सेवा के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को प्रस्तुत किया जावेगा।

6.1.2 आवेदन पर ग्राम पंचायत से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।

6.1.3 आवेदक द्वारा प्रचलित प्रक्रिया अनुसार यदि आवेदन पंचायत सचिव के समक्ष ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये जाते हैं तो उक्त आवेदन का परीक्षण कर आवेदन स्वीकृति हेतु संबंधित पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को भेजा जावेगा। इस स्थिति में समय–सीमा पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दिनांक से प्रारंभ होगी।

6.1.4 प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृति की दशा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जायेगा और अस्वीकृति की दशा में कारण सहित स्वस्पष्ट आदेश विहित प्रारूप (संलग्न) में पारित किया जायेगा। यह संपूर्ण कार्यवाही अधिकतम 60 दिवस में पूर्ण होगी।

6.1.5 पेंशन का अगले माह से भुगतान पेंशन की नियमित प्रक्रिया से होगा।

6.2 नगरीय क्षेत्र

6.2.1 आवेदन पदाभिहित अधिकारी के रूप में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद को प्रस्तुत किया जावेगा, उसकी तत्काल पावती संबंधित द्वारा दी जायेगी।

6.2.2 आवेदन पर किसी अधीनस्थ से आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।

6.2.3 प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृति की दशा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जायेगा और अस्वीकृति की दशा में कारण सहित स्वस्पष्ट आदेश विहित प्रारूप (संलग्न) में पारित किया जायेगा। यह संपूर्ण कार्यवाही अधिकतम 60 दिवस में पूर्ण होगी।

6.2.4 पेंशन की पात्रता होने की स्थिति में पेंशन राशि आवेदन–पत्र पंजीयन होने के माह से स्वीकृत की जावेगी और राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के साथ ही होगा।

6.2.5 पेंशन का अगले माह से भुगतान पेंशन की नियमित प्रक्रिया से होगा।

7. आवेदक को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृति प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

8. अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान कीगारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) अधिनियम 2010 के नियम–6 में निर्धारित पंजी का संधारण किया जाना चाहिए। एक ही आवेदन को पृथक–पृथक पंजीयों में इन्द्राज करना आवश्यक नहीं होगा। (परिशिष्ट–3)

9. आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस द्वारा अलर्ट किया जा सके।

10. पदाभिहित अधिकारी द्वारा पात्र हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति के आदेश जारी करने के पूर्व हितग्राही के निवास के निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट आफिस में बचत खाता खुलवाया जाये तथा स्वीकृति आदेश में बैंक/पोस्ट आफिस का नाम एवं उसका खाता क्रमांक अंकित कर जारी किया जाये । यह कार्यवाही पदाभिहित अधिकारी को लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 में दी गई 60 दिवस की तय समय–सीमा के भीतर ही करना होगी। नवीन स्वीकृति आदेश के पश्चात् हितग्राही के खाते में प्रथम किश्त के जारी होने पर ही पेंशन स्वीकृति आदेश विधिमान्य होगा ।

यह आदेश दिनांक 01.04.2013 से प्रभावशील होगा ।

(व्ही0के0 बाथम)
सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय विभाग

pc /Scheme 7-8-12/IGNO/W/DPS-16-04-13/6

पृ.क्रं. क्रं. 541/26–2/2013/ भोपाल, दिनांक 16.04.2013

25-4-13

प्रतिलिपि :–

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग म0प्र0 भोपाल
4. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय, म0प्र0 भोपाल
6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म0प्र0 भोपाल
7. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, म0प्र0 भोपाल

25/4/13

उप सचिव
म0प्र0 शासन
सामाजिक न्याय विभाग

pc /Scheme 7-8-12/IGNO/W/DPS-16-04-13/7

परिशिष्ट–1

नि:शुल्क

आवेदक का फोटोग्राफ

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय विभाग

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत .... जिला ....
2. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद् ....
   जिला ....

विषय:– 1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ☐

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ☐

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना ☐

आवेदक का समग्र कोड कमांक ☐☐☐☐☐☐☐☐

आवेदक का आधार कार्ड कमांक ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

आवेदक का बीपीएल कार्ड कमांक ☐☐☐☐☐☐

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. जाति वर्ग ☐

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य	अल्प संख्यक

4. आवेदक की जन्म तिथि ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
5. आवेदन के समय आयु ☐
6. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता ....
7. आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता ....
8. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (यदि कोई हो ता) ....